

बैठक कार्यवृत्त

आज दिनांक 06.11.2020 को प्रातः 10:15 से श्रीमान डॉ. समित शर्मा सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केन्द्र (DoIT&C) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। जिसमें सम्भागीय आयुक्त महोदय ने कहा शिक्षक दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है, जिसे शिक्षा जैसे पूनित कार्य को करने का अवसर मिला। पारस पत्थर तो केवल लोहे को ही सोना बनाता है लेकिन शिक्षक प्रत्येक शिष्य को महान एवं अपने समान बनाता है। तत्पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय ने बिन्दुवार दिशा निर्देश जारी किए।

1. प्रवेशोत्सव एवं नामांकन वृद्धि :- 30 नवम्बर तक आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को चिन्हित कर शत प्रतिशत बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना। 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त बालक एवं बालिकाओं की पहचान कर रिकार्ड संधारित किया जाना जिसमें 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रवेश दिलाना एवं शेष बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाना। सर्वे के दौरान गांव या गांव के बाहर जैसे ढाणी, मजरा, खेत, में रहने वाले परिवार भौसमी पलायन कोविड-19 के कारण प्रवासी मजदूरों के परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर, बालक-बालिकाओं को चिन्हित कर शत प्रतिशत राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना। पिछले महीनों में हाउस होल्ड सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, उसे प्रभावी ढंग से करते हुए 30 नवम्बर 2020 तक शत प्रतिशत पूर्ण कर लें।
2. स्माइल कार्यक्रम :- स्माइल कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु कक्षावार वाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक सोमवार को तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक बुधवार को गृहकार्य देना तथा विद्यार्थियों से पूर्ण किया हुआ गृहकार्य पुनः प्राप्त करना व जांच करना। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा समाधान करने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमती के साथ विद्यालय आकर शिक्षकों से चर्चा कर सकेंगे। जिन बच्चों के पास स्मार्ट फोन व लेपटॉप नहीं है, शिक्षक उन बच्चों के घर-घर जाकर गृहकार्य देंगे व पुनः प्राप्त करेंगे।
जो शिक्षकों एवं कार्मिकों की कोविड-19, चुनाव या अन्य प्रशासनिक प्रतिनियुक्ति पर है, वह अपने मूल विभाग का कार्य, स्माइल कार्यक्रम व गृहकार्य का मूल्यांकन एवं संस्थाप्रधान द्वारा दिये गये अन्य दायित्व का प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी शत प्रतिशत पूर्ण निर्वहन करेंगे।
3. कार्मिकों की समय पर उपस्थिति की सुनिश्चितता :- सभी शिक्षक व कार्मिक निर्धारित समय पर उपस्थित हो व उनका पूर्ण समय ठहराव हो तथा शिक्षण में पूर्ण योगदान रहे। सभी विद्यालय व कार्यालय व अन्य विभाग के कार्यालय अपनी उपस्थिति समय पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे।
4. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के संस्थाप्रधान तथा शिक्षा अधिकारियों को प्रभावी संचालन करने एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने के दिशा निर्देश दिये।
5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकाओं का वितरण दो दिवस के भीतर स्थानीय शिक्षकों द्वारा शत प्रतिशत पूर्ण करें। कार्यपुस्तिका में बच्चें काम कर रहे हैं या नहीं, प्रत्येक शिक्षक इसका मूल्यांकन करें एवं पोर्ट पोलियों संधारित करें।
6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चामू (सेखाला), शाहपुरा एवं बालिका सूरसागर की तरह गूगल मीट या जूम एप द्वारा ऑनलाईन शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें।
7. समस्त शिक्षा अधिकारी विभागीय परिपत्र एवं आदेशों का गहन अध्ययन कर उनके उत्तरदायित्व के क्रियान्वयन हेतु पाबन्द करें। राज्य सरकार एवं विभागीय दिशा निर्देशों को धरातल पर शत प्रतिशत क्रियान्वित करें।
8. राजकीय विद्यालय में श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्थाप्रधान/विषयाध्यापकों से सीधा संवाद किया गया। ऐसे संस्थाप्रधान/विषयाध्यापकों के सराहनीय कार्य करने पर उनको प्रशंसा पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर श्री प्रेमचन्द्र सांखला ने आभार व्यक्त करते हुए अपने क्षेत्र के सभी शिक्षकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। आने वाले व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिये समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा
जोधपुर संभाग के 06 जिलों के समस्त शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के आयोजन में भाग लिया, जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर व पाली संभाग, समस्त मुख्य जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय), डाइट प्रधानाचार्य, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पदेन प्रारम्भिक अधिकारी (पीइडिओ) समस्त प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सम्मिलित हुए।

(डॉ. समित शर्मा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक :- 6-10-2020

क्रमांक :- 435

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर व पाली सम्भाग।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही व जालौर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक (मुख्यालय) जोधपुर व पाली सम्भाग।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर व पाली सम्भाग।
5. रक्षित पंजिका।

सम्भागीय आयुक्त